तमक हो।
प्रकरण साक्ष्य हेतु दिनांक 14/03/24
को पेश हो।

-03-2024

राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित।
आरोपी रमेश स्वयं उपस्थित।
आरोपी शुभम अनुपस्थित। आरोपी की ओर से श्री बख्त्यार अर्शी अधिवक्ता ने धारा 317 द.प्र.सं. के अंतर्गत हाजरी माफी आवेदन पेश किया। आवेदन पत्र में दर्शित कारण उचित प्रतीत होने से आवेदन पत्र स्वीकार किया गया।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

अभियोजन साक्षी हार्दिक असा.02 को परीक्षण, प्रतिपरीक्षण पश्चात उंन्मुक्त किया गया।

शेष अभियोजन साक्षीगण अनुपस्थित।

फरियादी/आहत द्वारा अभियोजन कथा का कोई समर्थन न करते हुये एंव पक्षकारों के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने पर अभियोजन ने किसी अन्य साक्षी के कथन न कराना व्यक्त किया। अतः अभियोजन साक्ष्य समाप्त घोषित की जाती है।

अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरूद्ध कोई तथ्य एवं परिस्थितियां उत्पन्न नही हुई, अतः धारा 313 दप्रसं के अतर्गत उनके परीक्षण के कोई आवश्यकता नही है।

बचाव साक्ष्य के सबंध मे पूछे जाने पर अभियुक्तगण ने कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

अतः प्रकरण अंतिम तर्क के प्रक्रम पर नियत किया जाता है।

प्रकरण अंतिम तर्क हेतु दोपहर पश्चात पुनः पेश हो।

14/03/24

(तनवी माहेश्वरी ठाकुर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
डॉ अम्बेडकर नगर (म.प्र.)

पुनश्च–03.20 पीएम

राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित।
अभियुक्त रमेश सहित श्री अर्शी अधिवक्ता उपस्थित।

(तनवी माहेश्वरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
डॉ अम्बेडकरनगर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner

Order Sheet (Contd)

Case No. 1347/2 of

Date of Order or roceeding	Order or Proceeding with of Signature of Presiding Officer	Signature Parties or Pleaders wh necessary

दंड प्रकिया संहिता की धारा 353 (6) में प्रावधान अनुसार प्रकरण मे अभियुक्त की दोषमुक्ति की दशा में अभियुक्त की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया जा सकता है। अतः अभियुक्त की हाजिरी माफ की जाती है।

प्रकरण निर्णय हेतु नियत है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं टंकित कर घोषित किया गया।

निर्णयाशानुसार अभियुक्त रमेश पिता भागचंद को भा.द.सं की धारा 279 एवं धारा 184, 39/192, 146/196, 3/181 मोटरयान अधिनियम एवं अभियुक्त शुभम पिता पवन को धारा 146/196, 39/192, 5/180 मोटरयान अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण निर्णयानुसार किया जावें।

प्रकरण का परिणाम अंकित कर नियत अवधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

14/03/24

(तनवी माहेश्वरी ठाकुर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
डॉ अम्बेडकर नगर (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner